

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3534/2026

Kamlesh @ Kamal @ Kodiya S/o Shri Chetaram, Aged About 25 Years, R/o Badhala Ki Dhani Tan Palsana, Police Station Ranoli, District Sikar (Raj.) (At Present Confined In District Jail, Sikar).

-----Petitioner/accused

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Kumar Mr. Pradeep Bochaliya
For Respondent(s)	:	Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
(V. J.)**

Order

08/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना खाटूश्यामजी सदर, जिला-सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 165/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3/25, 25(6) आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध देशी कट्टा व जिन्दा कारतूस बरामद किए जाने के संबंध में धारा 3/25, 25(6) आयुध अधिनियम के दण्डनीय अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध तथा उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर बिना वैध अनुज्ञापत्र के देशी कट्टा व जिन्दा कारतूस अपने आधिपत्य में रखने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIR ONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कमलेश उर्फ कमल उर्फ कोड़िया पुत्र श्री चेताराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J